न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचोर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी – श्री मुरारीलाल शर्मा आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 06 / 17

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
धनाराम पुत्र छोगाराम जाति ब्राहमण निवासी चौरा तहसील सांचोर जिला जालोर (राज)		भूमिधारी तहसीलदार सांचोर जिला जालोर (राज.)

प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 111 सहपठित धारा 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–
1– प्रार्थी वकील श्री प्रेमसिंह अचलपुर
2– अप्रार्थी की ओर से राज पेरोकार नायब तहसीलदार सांचोर

निर्णय दिनांक 14-11-17

उपखण्ड अधिकारी-सांचौर जिला जालोर (राज.)

1– प्रार्थी ने दिनांक 20–6–2017 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सहपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुदा खेत सरहद मौजा चौरा में खसरा नम्बर 494 रकबा 0.02 हैक्टर, 2084 / 497 रकबा 2.37 हैक्टर, 2085 / 497 रकबा 0.48 हैक्टर कुल रकबा 2.87 हैक्टर का आया हुआ है। उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड के ट्रेस नक्शे में अलग तरमीमसुदा आया हुआ है। किन्तु उक्त खेत की पश्चिम व उत्तरी माठें उक्त खेत के पाडौसियान हमेशा माठ तोडकर उनके खेत में मिलाने की चेष्टा करते है तथा औलभा

उपखण्ड अधिकारी-सांचौर

देने पर झगडा करने पर उतारू हो जाते है। कई बार पंचायती भी करवाई। उक्त खेत पैमाईश हेतु आदेश भी करवाया किन्तु पाडौसी खेत वाले पैमाईश नहीं करने देते है। प्रार्थी सीधा–सादा शांत स्वभाव का कृषक हूं तथा पाडौसी खेत वाले आय दिन सीमा तोडकर परेशान करते है। इस हेतु इसका एक मात्र स्थाई समाधान उक्त खेत की स्थाई नेखमबंदी पत्थर चीणें दीवार आदी बनाकर ही हल हो सकता है। अन्य कोई विकल्प नहीं होने से प्रार्थना पत्र पेश करने की नौबद पैदा हुई है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रदर्श नक्शा 'अ' में मार्क ए, बी, सी, डी अनुसार सीमांकन कर स्थाई नेखमबंदी करवाना चाहता हूं। जिससे हमेशा के लिए सीमा विवाद खत्म हो जायेगा तथा सीमा का स्थाई नेखमबंदी करने हेतु एवं शांति व्यवस्था समुचित रूप से पुलिस थाना झाब से भी इम्दाद दिलया जाना आवश्यक है तथा पत्थर गढी का खर्चा मैं प्रार्थी वहन करने का तैयार हूं। अन्त में प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा 'अ' में वर्णित मार्क ए, बी, सी, डी के अुनसार पत्थरगढी करने का आदेश तहसीलदार सांचोर के नाम दिलाया जावे।

2– प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कार्यालय टिप्पणी पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 6/17 दिनांक 28–6–2017 दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस से तलब किया गया। जिस पर दिनांक 10–10–2017 को अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार सांचोर की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचोर उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी की ओर से दिनांक 14–11–2017 को अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी खेत की स्थाई नेखमबंदी की जाती है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

3– उक्त प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का समर्थन होने से प्रकरण में दोनो पक्षो की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा 'अ' में वर्णित मार्क ए, बी, सी, डी की भूमि प्रार्थी के स्वयं की खातेदारी है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी स्वयं के खर्चे पत्थरगढी करवाना चाहता है जिस बाबत् अप्रार्थी को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी-सांचौर

उपखण्ड अधिकारी-सांचौर जिला जालोर (राज.)

4— मैनें उभय पक्षकारान की बहस सुनी तथा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात का भलीभांति अध्ययन व अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी में वर्णित खसरा संख्या 494, 2084/497, 2085/497 कुल रकबा 2.87 हैक्टर भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है तथा उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड के ट्रेस नक्शे में अलग से तरमीमसुदा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सहपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सांचोर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम चौरा में प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 494 रकबा 0.02 हैक्टर, 2084/497 रकबा 2.37 हैक्टर, 2085/497 रकबा 0.48 हैक्टर जुमले रकबा 2.87 हैक्टर की कमेटी गठित कर पाडौसी खातेदारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में प्रार्थी की भूमि का सीमाकंन कर स्थाई नेखमबंदी की जावे तथा आवश्यकता हो तो पुलिस ईम्दाद भी ली जावे। इस आशय की तहसीलदार सांचोर को तहरीर जारी की जावे।

उपखण्ड अधिकारी-सांचोर जिला जालोर (राज.)

14-11-17
M.L. Sharma
उपखण्ड अधिकारी
सांचोर
उपखण्ड अधिकारी-सांचौर

निर्णय आज दिनांक 14-11-17 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14-11-17
M.L. Sharma
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी-सांचौर
सांचोर